न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–04, झांसी।

सत्र वाद सं०–989/2021

CNR No–UPJS01–006230–2021

सरकार बनाम के०पी० सिंह चौहान।

मु०अ० सं०–219/2020

धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना–बरुआसागर, जिला–झाँसी।

आरोप

मैं **नीतू यादव**, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–04, झांसी एतद द्वारा आप **के०पी० सिंह चौहान** पर निम्न आरोप लगाती हूं कि–

1– यह कि दिनांक–22.10.2020 को समय–13.18 बजे, स्थान–अंजनी माता मंदिर झांसी रोड अंतर्गत थाना–बरूआसागर, जिला–झांसी में आपके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर तथा जिसकी नाल में एक अदद खोखा 315 बोर फंसा है एवं पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व बायीं जेब से 800/–रू० रूपये नगद बरामद किया गया। इस प्रकार आपने **धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देती हूं कि उपरोक्त आरोपों पर आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक–08.12.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक–08.12.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–04, झांसी।

सत्र वाद सं०–989/2021

CNR No–UPJS01–006230–2021

सरकार बनाम के०पी० सिंह चौहान।

मु०अ० सं०–219/2020

धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना–बरुआसागर, जिला–झाँसी।

दिनांक–08.12.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **के०पी० सिंह चौहान** व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते आरोप नियत है।

आरोप के बिन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने मामले को रखते हुए उक्त तथ्यों को बताया की किस साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध मामले को सिद्ध करना चाहते हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उन्हें रंजिशन पुलिस से मिलकर झूठा नामित किया गया है। अतः अभियुक्त को मामले में उन्मोचित करने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय अभियुक्त **के०पी० सिंह चौहान** के विरूद्ध **धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम** के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाती है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया जाये।

दिनांक–08.12.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381

दिनांक–08.12.2021

अभियुक्त **के०पी० सिंह चौहान** के विरूद्ध **धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम** के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली साक्ष्य हेतु **दिनांक–21.12.2021** को पेश हो। नियत तिथि के लिये साक्षी तलब हों।

दिनांक–08.12.2021

(नीतू यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–04, झांसी।
JO Code–UP06381